

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६०]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 1973/माघ 23, 1894

No. 60]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 1973/MAGHA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January 1973

S.O. 96(E).—In pursuance of sub-sections (1) and (2) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby directs that the following further amendments shall be made in its Notification No. 508/AS/66, dated the 1st January, 1967, namely :—

In columns 1, 2 and 3 of the Table appended thereto, *against* serial No. 11 Lakhimpur District and serial No. 12 Dibrugarh District, for the existing entries the following entries shall be *substituted*

Column No. 1	Column No. 2	Column No. 3
11. Lakhimpur District	(1) Deputy Commissioner, Lakhimpur District.	North Lakhimpur Sub-Division.
	(2) Sub-Divisional Officer, Dhemaji.	Dhemaji Sub-division, excluding Jonai Thana.
	(3) Deputy Commissioner, Dibrugarh District.	Paik-Mahal and Larua Mouzas in Dibrugarh District.
12. Dibrugarh District	(1) Deputy Commissioner, Dibrugarh District.	Dibrugarh District excluding Paik-Mahal and Larua Mouzas in Dibrugarh Thana.
	(2) Sub-Divisional Officer, Dhemaji.	Jonai Thana in Dhemaji Sub-division in Lakhimpur District.

[No. 508/AS/71.]

By Order,

B. N. BHARDWAJ, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973

एस० ओ० 96 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 कक की उपधारा (1) और (2) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 508/असम/66, तारीख 1 जनवरी, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उससे संलग्न सारणी के स्तम्भ 1, 2 और 3 में, क्रम सं० 11—जिला लखीमपुर और क्रम सं० 12—जिला डिब्रुगढ़ के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

स्तम्भ सं० 1	स्तम्भ सं० 2	स्तम्भ सं० 3
11— जिला लखीमपुर	(1) उपायुक्त, जिला लखीमपुर उत्तर लखीमपुर उपखण्ड । (2) उप-खण्ड अधिकारी, धेमाजी धेमाजी उप-खण्ड, जोनाई थाना को छोड़ कर (3) उपायुक्त, जिला डिब्रुगढ़ जिला डिब्रुगढ़ में पाइक-महल और लारुआ मौजा ।	
12—जिला डिब्रुगढ़	(1) उपायुक्त, जिला डिब्रुगढ़ जिला डिब्रुगढ़, डिब्रुगढ़ थाने के पाइक-महल और लारुआ मौजा को छोड़ कर । (2) उप-खण्ड अधिकारी, धेमाजी लखीमपुर जिले के धेमाजी उपखण्ड में जोनाई थाना ।	

[स० 508/असम/71]

आदेश से

बी० एन० भारद्वाज, सचिव ।